COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

A.B.P. No. 320/2026

Chihara P.S. case no. 97/2025

Fagu Das @ Bhaku Das Vs. State of Bihar

आदेश

01.04.2026 चिहरा थाना काण्ड संख्या–97/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 115(2), 308(5), 109, 352 सभी सपठित धारा 3(5) से संबंधित है, के अभियुक्त **फागु दास उर्फ भाकू दास,** उम्र–69 वर्ष, पिता–स्व0 सोमर दास, निवासी ग्राम–दुम्मा, थाना–चिहरा, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक दुर्गा मुर्मू द्वारा थानाध्यक्ष चिहरा को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–03.12.2025 को समय 6:30 बजे संध्या को चकाई बाजार से लौटने के क्रम में दुम्भा के शंभु पंडित की नास्ते की दुकान में नास्ता कर रहा था। उसी दौरान भक्कू दास पिता–सव0 सोमर दास भी आकर नास्ता करने लगा, नास्ता करने के बाद भक्कू दास बोला कि उसके नास्ता का पैसा वह दे तो उसने कहा कि आपने नास्ता किया है तो वह पैसा क्यों देगा। इतने में भक्कू दास बोला ''साला सोतार नास्ता का पैसा उसे देना होगा'' तो वह बोला कि आप जो उसे सोतार बोल रहे हो यह गलत है। वह भी आपको जाति सूचक बात बोलेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा। उसी दौरान **भक्कू दास एवं उदय दास** दोनों उग्र हो गये अन्य पांच व्यक्ति जिन्हें वह नहीं पहचान सका। सभी ने मिलकर उसे रड, डंडा, ईंट और पत्थर एवं लात जूता से मारा, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा तो वह दुकान के सामने बेहोश होकर गिर गया, तो उसके मित्र श्याम लाल वास्के और प्रेमलाल मरांडी उसे उठाकर सदर अस्पताल ले गया तथा उसका इलाज करवाया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। सूचक द्वारा बतायी गई कहानी पूरी तरह काल्पनिक है तथा कथित अपराध में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा–2, 6,

---

10 में सूचक सहित साक्षियों का बयान दर्ज है। सूचक सहित साक्षियों ने अपने अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–41 में सूचक दुगा मांझी का जख्म प्रतिवेदन दर्ज है। यह जख्म प्रतिवेदन निम्न प्रकार हैः–

i. Abrasion in left side of face.

ii. Bruise in forehead.

Injury in simple as per this injury report. चूकि जख्म प्रतिवेदन प्रकृति से सामान्य है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं जिनमें से एक माता या पिता होगा तथा उनके जीवित ना होने पर कोई अन्य नजदीकी रिस्तेदार होगा तथा इस आशय का वचन पत्र की भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

Advocatespedia